

नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया के सम्मानित आदेश दिनांक -10.04.2024 के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर स्थित अधोलिखित दुकानों, वाहन स्टैण्ड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु दिनांक 14.05.2024 को अपराह्न 01.00 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में दस कक्षीय न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देखरेख में नीलामी सम्पन्न होगी ।

उक्त वाहन स्टैण्ड हेतु प्रारम्भिक मु० 2,44,000/-रु० (दो लाख चौवालिस हजार रुपये मात्र) पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि समायोजित करते हुए मु० 2,68,400/-रु० (दो लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपये मात्र) से प्रारम्भ की जाएगी, भुजा-मूँगफली हेतु मु० 80,000/-रु० (अस्सी हजार रुपये मात्र) पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि समायोजित करते हुए मु० 88,000/-रु० (अट्ठासी हजार रुपये मात्र) को आधार मानकर प्रारम्भ की जाएगी एवं भुजा मूँगफली की दुकान हेतु स्वीकृत धनराशि मु० 80,000/-रु० (अस्सी हजार रुपये मात्र) पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि समायोजित करते हुए मु० 88,000/-रु० (अट्ठासी हजार रुपये मात्र) को आधार मानकर प्रारम्भ की जाएगी । इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन बोली में भाग ले सकते हैं ।

नीलामी की शर्त:-

- 1- प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व वाहन स्टैण्ड हेतु मु०-26,800/-रु० (छब्बीस हजार आठ सौ रुपये मात्र), लस्सी शरबत हेतु मु०-8,800/-रु० (आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) एवं भुजा-मूँगफली हेतु मु०-8,800/-रु० (आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) नकद धनराशि बतौर जमानत के रूप में कार्यालय नजारत जजी देवरिया में जमा करना होगा । बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।
- 2- वाहन स्टैण्ड की नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को हैसियत प्रमाण-पत्र एवं आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भुजा-मूँगफली एवं लस्सी-शरबत की नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 3- कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति/ठेकेदार के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/ठेकेदार का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।
- 4- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रूप में तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 5- प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 6- जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा ।
- 7- नीलामी में भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 14.05.2024 को

कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे पूर्वान्ह 10.00 बजे तक समस्त प्रपत्रो के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।


8- नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9- माननीय जनपद न्यायाधीस महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी।


सदस्य,

सदस्य,


अध्यक्ष,


03.05.24

(विवेक कुमार सिंह-II),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।


03/5/2024

(संजय कुमार सिंह-III),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।


03/5/24

(श्रीमती छाया नैन),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :-


- 1- सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।


सदस्य,

सदस्य,

अध्यक्ष,

(विवेक कुमार सिंह-II),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।


03/5/2024
(संजय कुमार सिंह-III),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।


03/5/24
(श्रीमती छाया नैन),
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया।